



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1012/2026

संतोष

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता: रबींद्र बहादुर सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रबींद्र बहादुर सिंह और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह की तर्क सुने और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक संतोष की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 641/2022, अंतर्गत धारा 147, 148, 323, 332, 333, 336, 353, 427, 504, 506 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम तथा धारा 3/5 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, पुलिस थाना कासगंज, जिला कासगंज में जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 23.10.2025 से कारावास में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त कुलदीप पांडे और विक्की ठाकुर उर्फ शरद चौहान को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः 13.01.2026 और 11.12.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 40608/2025 और 42819/2025 में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उसका एक आपराधिक इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण दिया जा चुका है और जमानत पर रिहाई की स्थिति में उसके न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है, परन्तु उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले/अपराध संख्या में अभियुक्त-आवेदक को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के स्वीय बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर, जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित अदालत द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16 जनवरी, 2026

मिनी

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।